

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर्हतएलओआरओ
पत्र को-राजस्व में जांच की गई। जिसके अनुसार

75 में खानेश्वर मोघली पटिन शिवालय का नाम लखनवे
जाया उचित है।

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक - 18/10/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराप्ता की जाती है / की जाती है।

(Signature)
तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलाक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हुक्मपुरा	2075-78	75	मोघली पटिन शिवालय	मोघरी पटिन शिवालय

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय क पालना की जावे।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
दिनांक :- 18

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 146-47
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी